Dated: August 6, 2013



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH कृषि भवन : नई दिल्ली

KRISHI BHAVAN: NEW DELHI

F. No.(Admn.)1(4)/2013 - CR(A)&RTI

Sub: Right to Information Act, 2005- RTI Request/Application & Appeal Management System (RTI-MIS) in r/o ICAR Hgrs.- implementation reg.

CIRCULAR

In continuation of Council's circular of even no. dated 01st March, 2013 and 08th May, 2013, it is informed that RTI-MIS is working fine using Internet Explorer version 8 or 9. It is also to inform you that Secretary (ICAR) has taken a very serious view in the matter. Therefore, all the CPIOs/ Appellate Authorities are requested to ensure that all the RTI applications/ appeals are being uploaded/ lodged on the aforesaid website immediately after receipt in the concerned Secretariat/ Sections and enter the data/ upload the information provided to the applicant after assessment of requestes. The CPIOs/AAs are also requested to guide their staff members/ Secretariat in the aforesaid process.

However, in case of any problem in lodging new requests/ feeding data at the website rti.gov.in, the Section Officer, CR(A) & RTI Cell may please be contacted at telephone No.011 - 23388991 (Extn. 551). He may also be contacted in case of any difficulty / further query. It is requested that henceforth all the requests for information under RTI Act may positively be recorded in the aforesaid online system.

> (K.N. CHOUDHARY) DEPUTY SECRETARY (ADMN.) Tel. 011-23386978

Distribution:-

- 1. All CPIOs / AAs at ICAR Hqrs/ All Sections of ICAR Hqrs.(KB/KAB-I/II, NASC).
- 2. ISO, ARIC, ICAR for placing this Circular under RTI Act on the Council's website.





मि0सं0 1(4)/2013 - सी.आर. (ए) एवं आर.टी.आई

दिनांकः 06 अगस्त, 2013

परिपत्र

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में आर.टी. आई. अनुरोध, आवेदन पत्र एवं अपील प्रबंधन प्रणाली (आर.टी.आई. - एम.आई.एस. प्रणाली) - कियान्वयन के संबंध में।

परिषद के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 01 मार्च, 2013 तथा 08 मई, 2013 के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 8 एवं 9 का उपयोग कर आर.टी.आई. — एम.आई.एस. अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। यह भी सूचित किया जाता है कि सचिव (भा.कृ.अनु.प.) ने इस मामले को गंभीता से लिया है। अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के सभी केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी आवेदन पत्रों एवं अपील को प्राप्त करने के बाद उनके सचिवालय/अनुभाग द्वारा आवेदन पत्र/अपील से जुड़ी जानकारी वेबसाईट पर आर.टी.आई. — एम.आई. एस. में भर दी गई है तथा आवेदनकर्ता/अपीलार्थी के आवेदन पत्र/अपील का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें दी गयी जानकारी भी वेबसाईट पर आर.टी.आई. — एम.आई.एस. में अपलोड कर दी गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के सभी केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस कार्य हेतु मदद/प्रशिक्षित करें।

तथापि, यदि आवेदन पत्र/अपील को वेबसाइट <u>rti.gov.in</u> पर अपलोड करने में किसी प्रकार की किताई होती है तो अनुभाग अधिकारी, सी.आर.(ए) एवं आर.टी.आई. प्रकोष्ठ से सम्पर्क दूरभाष संख्या. 011–23388991 (एक्स. 551) पर कर सकते हैं। इसके अलावा भी इससे संबंधित कोई किताई हो अथवा पूछताछ करनी हो तो उपर्युक्त दूरभाष पर सम्पर्क कर सकते हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के बाद सभी आवेदन पत्र/अपील को उपर्युक्त वेबसाईट पर आर.टी.आई. — एम.आई.एस. प्रणाली में ऑनलाईन भरा जाए।

(के0एन0 चौधरी) उप सचिव (प्रशासन) दूरभाष: 011–23386978

वितरणः

 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के सभी केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी/भा.क.अनु.प. मु. के सभी अनुभाग।

2. एरिक, भारतीय अनुसंधान परिषद (इस पृष्ठांकन को परिषद के वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए)।